

**धान खरीद की गति को बढ़ाये****समस्त जनपदों में 15 दिसम्बर तक यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए****स्टाक में पहले से उपलब्ध डी0ए0पी0 खाद का वितरण पहले कराये****मिलावटी खाद के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जाय**

—कृषि मंत्री

लखनऊ : 30 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश में धान खरीद की धीमी रफ्तार पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों को धान खरीद की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित रूप से क्रय केन्द्रों पर अधिकारी उपस्थित रहें तथा किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि किसान क्रय केन्द्रों से बिना धान बेचे वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर धान बेचने के लिए बाध्य न हो।

कृषि मंत्री आज यहां कृषि उत्पादन आयुक्त के सभागार में धान, मक्का, दलहन-तिलहन खरीद व उर्वरक वितरण के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मक्का खरीद के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि जिन-जिन जिलों में मक्के की खरीद की जानी है, वहां इस बात की जानकारी किसानों को विज्ञापन के माध्यम से दी जाए कि कहां-कहां मक्के की खरीद किसानों से की जाएगी क्योंकि बहुत से मक्का किसानों को यह पता ही नहीं है कि वे अपना मक्का किस केन्द्र पर बेचें। इसी तरह उन्होंने उड़द, मूंग, मूंगफली आदि की खरीद की भी समीक्षा की।

कृषि मंत्री ने किसानों को समय से डी0ए0पी0 खाद का वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह दुःख की बात है कि उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि किसानों को सहकारी समितियों से समय पर उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, यह स्थिति अत्यन्त सोचनीय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले से स्टाक में उपलब्ध उर्वरक को पहले किसानों में वितरण सुनिश्चित कराये तथा यह भी सुनिश्चित हो कि उन्हें पहले के एम0आर0पी0 पर ही खाद उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि डी0ए0पी0 1076 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के मूल्य पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में कम एम0आर0पी0 वाले खाद का वितरण पहले करें तथा स्टाक खत्म होने के बाद ही बढ़ी हुई दरों की खाद वितरित की जाय। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए निर्देश दिए कि खाद वितरण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कम मूल्य की खाद को विशेष लोगों तक ही न वितरित किया जाय, बल्कि सर्व सामान्य किसानों को भी यह खाद आसानी से प्राप्त हो। साथ ही सभी जनपदों में आगामी 15 दिसम्बर तक पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मिलावटी खाद बाजार में न बिकने पाये। उन्होंने मिलावटी खाद के विरुद्ध विशेष रूप से बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, गोंडा, सीतापुर आदि जनपदों में सघन चेकिंग कराये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डा0 प्रभात कुमार, विशेष सचिव श्री प्रशान्त शर्मा, निदेशक कृषि श्री सोराज सिंह के अलावा, सहकारिता, नेफेड, खाद्य विभाग, यूपी एग्री आदि के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ओ0पी0राय/ अमित कुमार शुक्ला

फतेहबादुर / 03:00

फोन नम्बर वपतमबज : 0522 2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522 2239132 33 34 35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522 2237230 0522 2239586 ई-मेल : information\_up@yahoo.co.in

वेबसाइट : www.information.up.nic.in